29.10.2021 - पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग
अभियान 2021 कैम्प डावोली मीणी मे रखी गई
वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० 5 से 8, 10 से 14
16 से 18 की ओर से अधिवक्ता रणजीत सिंह
द्वारा वकालतनामा व इकबाली जवाब पेश किया
जा चुका है, जो शा० मिसल है। प्रतिवादी सं०
19, 20 के सम्मन तामील होकर प्राप्त हो चुके है
उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादी द्वारा
प्रस्तुत वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है
कि राजस्व ग्राम डावोली मीणी मे पुराने खसरा नं
58/2 रकबा 18.05 बीघा जिसके नये खसरा नं
174/122 रकबा 2.95 हैक्टेयर एवं पुराने ख०
नं० 63 रकबा 30.01 बीघा जिसके नये ख० नं
122 रकबा 4.86 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी
सं० 1 से 18 के पूर्वजों की पुश्तैनी मिलकियत
की खातेदारीसुदा काश्त एवं कब्जासुदा
भूमि आई हुई है, जिस पर वादी व प्रति-
वादीगण सं० 1 से 18 अपने 2 बंट व हिस्से
की भूमि पर वर्षों से मौके पर बतौर खाते-
दार शांतिपूर्ण रूप से काश्त एवं काबिज
चले आ रहे हैं। पुराने राजस्व रेकर्ड
जमाबन्दी सं० 2012 से 15 में उक्त भूमि
वादी के पूर्वज गोविन्द पुत्र छोटराम के
नाम रही है। वादी व प्रतिवादी सं० 1 से
18 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के
सदस्य है। वादी ने वाद पत्र के पैरा सं०
2 में पक्षकारान का सिजरा खानदान
प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सिजरा खानदान

Scanned by CamScanner

रामदीन वि. बलूराम

सं. वर्ष 10/2021

| दफा हुक्म | हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील |
|---|---|---|
| | के अनुसार वादी के दादा गोविन्दराम के दो जायन्दा पुत्रों में बड़ा वादी के बड़े पिता पेमाराम एवं उससे छोटे वादी के पिता हेमाराम थे तथा इनका संयुक्त हिन्दु परिवार था। वाद मे वर्णित खसरान की भूमि के साथ अन्य खसरान की भूमि का पट्टा जारी होने के समय वादी के दादा मौजूद होने से वादी व उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि का पट्टा वादी के दादा गोविन्द पुत्र हरूराम के नाम से संबंधित राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया था जिसकी ताईद संवत 2012 से 2015 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से भी होती है। वादी के दादा गोविन्दराम के स्वर्गवास से पूर्व ही वादी के पिता हेमाराम का स्वर्गवास पहले हो चुका था जिससे जब वादी के दादा गोविन्दराम का स्वर्गवास हुआ तब मुतनाजा खसरान की भूमि व वाद मे वर्णित खसरान की भूमि की खातेदारी अकेले वादी के बड़े पिता पेमाराम के नाम से दर्ज कर दी गई, परन्तु मौके पर अपने दादा गोविन्दराम व गोविन्दराम के फौत हो जाने के पश्चात बड़े पिता पेमाराम के साथ साथ बतौर खातेदार मौके पर शांतिपूर्वक रूप से काश्त व कब्जा चला आने से उक्त भूमि में तमाम प्रकार के खातेदारी हक हकूक व अधिकार प्राप्त थे। राजस्व अभियान के दौरान उक्त भूमि मे पेमाराम के फौत हो जाने के पश्चात | |

[signature]

| अनुवान मुकदमा | | |
|---|---|---|
| तारीख हुक्म | हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व अहकाम |
| | उनके वारिसान प्रतिवादी सं० 1 से 18 व वादी का नाम उक्त भूमि की खातेदारी मे दर्ज कर दिया परन्तु वादी ग्रामीण परिवेश मे रहने वाला व्यक्ति होने से राजस्व रेकर्ड के खसरा नम्बर व नक्शा की जानकारी नही हो पाने से प्रतिवादी सं० 20 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियो के द्वारा वादी व प्रतिवादी सं० 1 से 18 के नाम जो खातेदारी दर्ज की गई वह उनके बंट व कब्जा से भिन्न स्थान पर दर्ज कर दी गई जिससे वादी को यह वाद बाबत बंटवारा व घोषणा पेश किया है। पुराने ख० नं० 58/2 रकबा 18.05 बीघा नये ख०नं० 174/122 रकबा 2.95 हैक्टेयर के अड़ोसपड़ोस पूर्व दिशा मे ख०नं० 63 रकबा 30.01 बीघा नये ख०नं० 122 रकबा 4.86 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो रखी है। उक्त खसरान की भूमि का एक नजरी नक्शा इस वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जिसमे उक्त दोनो खसरान की भूमि का मौके पर परख जारी होने के पश्चात वादी के बड़े पिता पेमाराम व वादी रामदेव के द्वारा खेतो की उपजाऊ क्षमता के अनुसार पुराना खसरा नं० 58/2 रकबा 18.05 बीघा व ख०नं० 63 रकबा 30.01 बीघा मे से 11.16 बीघा दोनो रकबा को मिलाकर कुल 30.01 बीघा (4.86 है०) भूमि का एक ही खेत बनाया था तथा इसी माफिक मौके पर बीच मेड़ कड़ी भी धोरा पाल कायम की हुई थी जिससे इस नजरी नक्शा | |

रामदीन v/s बलुराम | सं. वर्ष 10/2021

| हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील |
| --- | --- |
| मे मार्क ABCDEFGH से दर्शाया गया है। उक्त खसरात की भूमि पिछले 60-70 सालों से इसी स्थिति मे मौके पर स्थित है। पुराने ख० नं० 63 रकबा 30.01 बीघा मे से 18.05 बीघा (2.95 है०) भूमि जिसे नजरी नक्शा मे मार्क IJKLD के बीच दर्शाया गया है। उक्त भूमि का मौके पर अलग से दूसरा खेत चक बना रखा था। इसी अनुसार मौके पर दोनो खेतो की भूमि पर वादी के पिता हेमाराम व प्रतिवादीगण व इनके पूर्वज हरदीनराम, पेमाराम फ़ौज द्वारा मौके पर शांतिपूर्वक काश्त व काबिज चले आ रहे है। वादीओ के अशिक्षित काश्तकार होने से तथा खसरा नम्बर व नक्शा ट्रेस का ज्ञान नहीं होने से प्रतिवादी सं० 2 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियो की गलती से वादी के नाम से राजस्व रिकर्ड मे ख० नं० 122 रकबा 4.86 है० भूमि मे से 2.95 है० भूमि जो नजरी नक्शा मे मार्क IJKLD के स्थान पर मार्क ABCGH स्थान पर ख० नं० 174/122 रकबा 2.95 है० दर्ज कर दी गई, जिसका रकबा एवं क्षेत्रफल समान होने से गलत दर्ज हुई है। जिसे दुरुस्त किये जाकर काश्तकारो का मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा किये जाने पर राज्य सरकार को कोई हानि नहीं होगी एवं पक्षकारान के हितों पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः वाद वादी डिक्री किया | |

[signature]

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर अहकाम |
| --- | --- | --- |
| | जाकर राजस्व ग्राम डाबोली खोली में स्थित भूमि ख० नं० 122 रकबा 4.86 हे० भूमि में से 2.95 हे० भूमि उक्त खसरा के पश्चिम में मार्क IJKLD का खातेदार वादी सायलान को घोषित फरमाया जावे। बँटवाड़ा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रति० सं० 1 से 18 इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि पुराने ख० नं० 58/2 रकबा 18.05 बीघा जिसके नये ख० नं० 174/122 रकबा 2.95 हे० एवं पुराने ख० नं० 63 रकबा 30.01 बीघा जिसके नये ख० नं० 122 रकबा 4.86 हे० भूमि का नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार मार्क IJKLD खसरा नम्बर 122 रकबा 4.86 हे० भूमि में से 2.95 हे० भूमि वादी के नाम व इसी ख० नं० 174/122 रकबा 2.95 हे० सम्पूर्ण व ख० नं० 122 रकबा 4.86 हे० में से 1.91 हे० कुल रकबा 4.86 हे० भूमि नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार मार्क ABCDEFGH के बीच की भूमि प्रतिवादी सं० 1 से 18 के नाम दर्ज की जावे। इसी माफिक घोषणा व बँटवाड़ा के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार डीगाना को तहरीर जारी की जावे।<br>वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 से 4, 9, 15 ने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया है तथा प्रतिवादीगण सं० 5 से 8, 10 से 14, 16 से 18 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब | |

रामदीन vs बाबूराम

सं. वर्ष 10/2021

| दमा हुक्म | हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील |
|---|---|---|
| | पेश किया है। प्रतिवादी सं० 19, 20 के समन पर्याप्त तामील होकर प्राप्त हो चुके है।<br><br>हमने उपस्थित पक्षकारान को सुना एवं पत्रावली का अवलोपान्त अवलोकन किया। वादी के कथनानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 18 तक ही सिजरा खानदान के सदस्य है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पक्षकारान को पैतृक उत्तराधिकार मे पूर्वज ढाडा गोविन्द पुत्र कोदूराम से प्राप्त हुई है। जमाबन्दी सं० 2012 से 15 के अवलोकन से यह साबित है कि पुराने ख० नं० 58/2, 63 का गोविन्द पुत्र छोटे खातेदार शामलात है जो जरिये फौतगी नामान्तकरण पेमा पुत्र गोविन्द के खातेदारी प्राप्त हुई है। प्रस्तुत मिलान की नकल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुराने खसरा नम्बर 58/2 रकबा 2.95 हे० के नये खसरा नम्बर 174/122 रकबा 2.95 हे० व पुराने ख० नं० 63 रकबा 4.86 हे० के नये खसरा नम्बर 122 रकबा 4.86 हे० पड़े है। ख० नं० 174/122 रकबा 2.95 हे० की खातेदारी वर्तमान मे वादी के नाम दर्ज है व ख० नं० 122 रकबा 4.86 हे० की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम है। प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 के अवलोकन से उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक उत्तराधिकार मे प्राप्त भूमि होना साबित होता है। वादी व प्रतिवादीगण | |

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| | के अनुसार पक्षकारान का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अनुसार राशन कब्जा नही होकर साथ मे प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार राशन कब्जा है इसी अनुसार खातेदारी दर्ज करवाकर घोषणा व बंटवारा करवाने पर सभी पक्ष सहमत है पक्षकारो के मध्य राजस्व रेकर्ड मे बंटवारा हो चुका है मगर यह मौके से भिन्न है। चूंकि उक्त वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक उत्तराधिकार मे प्राप्त भूमि है जिसका वादी को बंटवारा करवाकर अपने हिस्से की घोषणा करवाने का हक है। प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव वादी पर प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति दी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र प्रतिवादीगण के राजीनामा व इकबाली जवाब तथा राजस्व दस्तावेज के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। |
| | अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम डाबोली कौनी के ख०नं० 122 रकबा 4.86 है० मे से वाद-पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे दर्शित मार्क I J K L D रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादीगण सं० 1 से 18 के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ख०नं० ~~122~~ 174/122 रकबा 2.95 हैक्टेयर सम्पूर्ण का खातेदार वादी के स्थान पर प्रतिवादी सं० 1 से 18 को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण सं० 1 से 18 के बंट मे ख०नं० 174/122 रकबा 2.95 है० सम्पूर्ण व ख०नं० 122 रकबा 4.86 है० मे से रकबा 1.91 है० |

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा रामदीन v/s बलुराम सं. वर्ष 10/2021

| हुक्म | हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील |
|---|---|---|
| | कुल रकबा 4.86 हे० नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ABCDEFGH के बीच की भूमि बंट में स्वीकृत की जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में पृथक पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम किये जावे। रहन का इन्द्राज पूर्ववत हिस्सेनुसार दर्ज किया जावे। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021, कैम्प - डाबोली मौके में मजमे आम में सुनाया गया। | |